"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 मार्च 2013—चैत्र 9, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-03/2013/वाक/पांच (4).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, दिनांक 01-04-2013 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

नीचे दी गई अधिसूचनाओं में अधिसूचना की कालावधि से संबंधित अंक "2013" के स्थान पर अंक "2014" प्रतिस्थापित किया जाए :—

अ. क्र. (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	दिनांक (3)
1.	ए-3/28/2000/वि.क./पांच (33)	13-04-2000
2.	एफ-10/20/2003/वाक/पांच (39)	01-05-2003
3.	एफ-10/70/2003/वाक/पांच (93)	06-10-2003
4.	एफ-10/29/2006/वाक/पांच (17)	30-03-2006
5.	एफ-10/58/2006/वाक/पांच (50)	28-04-2006
6.	एफ-10/33/2007/वाक/पांच (24)	02-04-2007

(1)	(2)	(3)
7.	एफ-10/1/2010/वाक/पांच (3)	20-01-2010
8.	एफ-10/29/2010/वाक/पांच (34)	01-04-2010
9.	एफ-10/24/2011/वाक/पांच (24)	31-03-2011
10.	एफ-10/17/2012/वाक/पांच (16)	31-03-2012

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2013

क्रमांक एफ 10-3/2013/वाक/पांच (4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-3/2013/वाक/पांच (4), दिनांक 26-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 26th March 2013

NOTIFICATION

No. F 10-03/2013/CT/V (4).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the C[illegible]ttisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Governme[illegible]hereby makes the following amendment with effect from 01-04-2013 :—

AMENDMENT

In the following notifications for the figure "2013" related to period of the notificatio[illegible]he figure "2014" shall be substituted :—

S. No. (1)	Notification No. (2)	Date (3)
1.	A-3/28/2000/S.T./V (33)	13-04-2000
2.	F-10/20/2003/CT/V (39)	01-05-2003
3.	F-10/70/2003/CT/V (93)	06-10-2003
4.	F-10/29/2006/CT/V (17)	30-03-2006
5.	F-10/58/2006/CT/V (50)	28-04-2006
6.	F-10/33/2007/CT/V (24)	02-04-2007
7.	F-10/1/2010/CT/V (3)	20-01-2010
8.	F-10/29/2010/CT/V (34)	01-04-2010
9.	F-10/24/2011/CT/V (24)	31-03-2011
10.	F-10/17/2012/CT/V (16)	31-03-2012

By order and in the name of the Govern[illegible] Chhattisgarh,
A. P. TRIP[illegible], Joint Secreta[illegible]

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-07/2013/वाक/पांच (09).—चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करदायी व्यवसाईयों की ऐसी सभी कर निर्धारण कार्यवाहियां जिन्हें छत्तीसगढ़ मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैण्डर वर्ष 2011 के अंत तक पूर्ण किया जाना नियत है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे सभी संभव प्रयासों के उपरांत भी नियत समयावधि में पूर्ण नहीं की जा सकती है. कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों को गुणदोष के आधार पर पूर्ण करने के लिये सक्षम बनाने हेतु, न्याय हित में यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिये नियत समय-सीमा बढ़ाई जाए.

अत: छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर निर्धारण कार्यवाहियों जो उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष लंबित हो, जो 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण नहीं की जाती है, पूर्ण करने की अवधि 30 जून, 2013 तक बढ़ाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2013

क्रमांक एफ 10-07/2013/वाक/पांच (09).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-07/2013/वाक/पांच (09), दिनांक 26-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 26th March 2013

NOTIFICATION

No. F-10/07/2013/CT/V (09).—Whereas, the State Government is satisfied that all such assessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), which have to be completed by the end of the calendar year 2011 under the provisions of sub-section (7) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), cannot be completed within the prescribed period despite all possible efforts being made by the assessing authorities. In order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits, it is essential in the interest of justice that the time limit prescribed for the completion of such proceedings is extended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) the State Government, hereby, extends up to 30th June 2013, the period of completion of every such assessment proceedings under the said Acts in respect of every dealer pending before the Deputy Commissioner of Commercial Tax, Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers which is not completed by 31st March, 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.